



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062022-236790
CG-DL-E-24062022-236790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]
No. 447]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/ आषाढ़ 3, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

सं. 1/2022-क्षतिपूर्ति उपकर

सा.का. नि. 468(अ).—केंद्र सरकार, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद के सिफारिशों पर एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

लघु शीर्षक और प्रारंभ.- 1.(1) इन नियमों को माल एवं सेवा कर (उगाही एवं करों के संग्रहण की अवधि) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये नियम दिनांक 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे।

उगाही की अवधि तथा करों का संग्रहण.- 2. माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत उगाही एवं करों के संग्रहण की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2026 तक होगी।

[फा. सं. एस. 31011/11/2022-एसटी-II-डीओआर]

महेंद्र नाथ, अवर सचिव